



## परिपत्र CIRCULAR. No. 15 / 2016-17

**विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति- दिनांक 31.05.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त- संबंधित**

**Sub: Customs Clearance Facilitation Committee—Minutes of the meeting held on 31.05.2016—Reg.**

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की 11वीं बैठक दिनांक 31.05.2016 को दोपहर 3:30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन.राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 11<sup>th</sup> meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 3.30 PM on 31.05.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे : सर्वश्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present for the meeting S/Shri/Smt:

1. S. Anil Kumar, Addl. Commissioner
2. Aneish P. Rajan, Deputy Commissioner
3. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
4. Debashish Paul, Asst. Commissioner
5. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
6. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
7. Gomathy G., Superintendent of Customs

सीमाशुल्क निकासी से संबंधित विभागों/एजेंसियों/पणधारियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित सदस्यों द्वारा किया गया:

Representatives of agencies/ stake holders interacting with Customs S/Shri:

1. Dr. Jesto George, FSSAI, Cochin
2. Dr. Ashok Kumar, CIFT, Cochin
3. Dr. S. K. Panda, CIFT, Cochin
4. D.Iyyanar, Plant Quarantine Station
5. J. Raghupathy, Central Drugs Standard Control Organisation
6. K T Jayarajan, Textiles Committee
7. Girish Thomas, A.T.M, Cochin Port Trust

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और पिछली बैठक के कार्यवृत्त और नए मुद्दों पर चर्चा की।

The Commissioner welcomed the members to the meeting and minutes of last meeting were taken up for discussion and there after fresh points were taken up.

### Action on minutes of last meeting

#### बिंदु 1: एफएसएसएआई निकासी के बिना आगम पत्रों की निकासी करना

#### POINT 1: BILLS OF ENTRY CLEARED WITHOUT FSSAI CLEARANCE

एफएसएसएआई अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि एफएसएसएआई द्वारा एन.ओ.सी. प्रदान किए बिना ही अब भी कुछ आगम पत्रों की निकासी की जारी है। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई को कई आगम पत्र ऑनलाइन पर पंक्ति में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही एफएसएसएआई को संदर्भित किए जाते हैं। हालांकि ऑन-लाइन प्रविष्टि यह दर्शाती है कि आगम पत्रों को एफएसएसएआई की निकासी अपेक्षित और वे पंक्ति में हैं, फिर भी अक्सर यह देखा गया है कि एफएसएसएआई द्वारा इनकी निकासी नहीं किए जाने के बावजूद सीमाशुल्क विभाग इन्हें आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज दे देता है। एफएसएसएआई द्वारा चूककर्ताओं की सूची भेजे जाने के बावजूद सीमाशुल्क विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

The FSSAI official informed the chair that certain Bills of Entry were still getting cleared without the FSSAI granting NOC. He said that FSSAI was getting a lot of bills of entry online in the queue, but only a few of them are referred to FSSAI. Though the on-line status showed that the bills of entry required clearance from FSSAI and was in the queue, often it was found that the Customs department granted Out of Customs Charge despite FSSAI not clearing the same. Though FSSAI had forwarded a list of violators, no action had been taken by the Customs department.

श्री डी. पॉल (सहा.आयुक्त) ने सूचित किया कि सीमाशुल्क अग्रिम लाइसेंस योजना, ई.ओ.यू. आदि के तहत आयातित माल के लिए एफएसएसएआई से अनिवार्य निकासी की आवश्यक नहीं है। सिंगल विंडो प्रणाली में पूरे माल को टेरिफ हेड के अनुसार संदर्भित किया जाता है, जिनको एफएसएसएआई निकासी की आवश्यकता नहीं होती उन्हें भी एफएसएसएआई को संदर्भित किया जाता है। पहले संदर्भित करने का काम हाथ से किया जाता था। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस मामले को प्रणाली महानिदेशालय के साथ उठाया गया है ताकि एफएसएसएआई से निकासी की आवश्यकता नहीं रखने वाले माल को उन्हें संदर्भित न करने के लिए प्रणाली में उचित परिवर्तन करें।

*Shri. D. Paul (AC) informed that the consignments imported under the customs advance licence scheme, EOUs etc do not require mandatory clearance from FSSAI. In single window system the consignments are referred according to tariff head and all consignments, even those which do not require clearance from FSSAI, are referred to them. Earlier it was manually referred. Chair informed that the matter is taken up with Directorate General of System to make suitable changes in system so that these consignments which do not require clearance from FSSAI are not referred to them.*

#### बिंदु 2: कोचिन में प्रयोगशाला स्थापित करना

#### POINT 2: SETTING UP OF LAB IN COCHIN

श्री के.टी. जयरामन: वस्त्र समिति ने सूचित किया कि कोचिन में लगाई जा रही परीक्षण सुविधाओं के शुरू होने में कुछ और समय लगेगा।

- Shri. K. T. Jayarajan, Textile Committee informed that the testing facilities being set up in Cochin would take some more time for commencement.

### सदस्यों द्वारा उठाए गए नए मुद्दे Fresh points taken for discussion

बिंदु 3 : शीतीकृत समुद्री माल की निकासी में विलंब

#### POINT 3: PENDENCY IN CLEARANCE OF FROZEN MARINE CONSIGNMENTS

अध्यक्ष महोदय ने एफएसएसएआई निकासी के लिए लंबित माल के मामले उठाए। उन्होंने नोट किया कि सबसे ज्यादा विलंब शीतीकृत समुद्री माल के मामले में है। उन्होंने सूचित किया कि एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. की शुरुआत से पहले पशु संगरोध के संबंध में परीक्षण केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी) द्वारा किया जाता था और उनसे प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर माल को आउट ऑफ चार्ज दिया जाता था। लेकिन एसडब्ल्यूआईएफटी की शुरुआत के बाद शीतीकृत/समुद्री उत्पादों के लिए दायर किए गए आगमपत्र चेन्नै में बैठे पशु संगरोध अधिकारियों को अग्रेषित किए जाने लगे। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि पशुपालन विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक परीक्षण करने के लिए सिफ्ट को भी प्राधिकृत किया है। तथापि, एसडब्ल्यूआईएफटी का कार्यकरण शुरू होने के बाद एक्यूएस ने सूचित किया कि सिफ्ट को निकासी देने की शक्तियां नहीं दी गई हैं और सारे माल को उनके द्वारा ही निकासी दी जाएगी।

*The chair took up cases of consignments pending FSSAI clearance. He noted that maximum pendency was with frozen marine products. He informed that prior to the commissioning of SWIFT the testing for the purpose of animal quarantine was conducted by Central Institute of Fisheries Technology (CIFT) and the goods were granted out of charge based on reports received from them. But after SWIFT was introduced Bills of Entry filed for frozen/marine products started getting forwarded to Animal Quarantine officers sitting at Chennai. The chair informed that CIFT was also authorised by Department of Animal Husbandry for conducting the necessary tests in this regard. However, after SWIFT started functioning AQCS informed that CIFT is not empowered to give clearances and that all consignments would have to be cleared by them.*

कोचिन बंदरगाह के माध्यम से आयात किए गए समुद्री/शीतीकृत उत्पादों के लिए वर्तमान में सिफ्ट द्वारा नमूने लिए जाने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। सिफ्ट द्वारा परीक्षण पूरा कर लेने के बाद आयातक उनसे रिपोर्ट लेकर उसे चेन्नै में बैठे एक्यूएस के अधिकारियों को अग्रेषित करता है। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही एक्यूएस अधिकारी आयातक द्वारा प्रस्तुत किए गए एसआईपी जैसे अन्य दस्तावेजों को देखते हैं। इन दस्तावेजों को क्रमवार प्रस्तुत कर लेने पर एक्यूएस इनके असल की मांग करता है जिन्हें प्रस्तुत करना आयातक के लिए आवश्यक है। इनका सत्यापन करने के बाद एक्यूएस निकासी देता है।

*The present practice followed for consignments of marine/frozen products imported through Cochin port is that samples are drawn by CIFT. Once CIFT completes the testing the report is collected by the importer and forwarded to officers of AQCS sitting at Chennai. Only after receipt of the report, AQCS officers see the other documents submitted by the importer such as SIP etc.,. Once these documents are found in order, AQCS seeks originals of these documents which are required to be submitted by the importer. After verification of the same the clearance is given by AQCS.*

पिछले दो महीने के दौरान के आयात से पता चला है कि समुद्री माल की निकासी के लिए लिया गया औसत समय 8-10 दिनों से बहुत अधिक बढ़ कर 20 दिन हो गया है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि

शीतीकृत/समुद्री उत्पादों को रीफर कंटेनरों में आयातित किया जाता है, जिन्हें बिजली के प्वाइंट से जोड़ कर रखना पड़ता है और इससे विलंब शुल्क में भी काफी वृद्धि होती है। रुकने के समय में वृद्धि होने से लेनदेन की लागत भी सीधे बढ़ती है। इसके अलावा आयातकों को हर माल के लिए चेन्नें जाना पड़ता है, क्योंकि एक्यूएस निकासी देने से पहले सभी असल दस्तावेजों को देखने की मांग करती है।

*The exports during the last two months from showed that the average time taken for clearance of marine consignment has increased considerably from 8-10 days to 20 days. He also pointed out that frozen/marine products are imported in reefer containers which are required to connected to power points which in turn increases the demurrage charges considerably. Increase in dwell time directly increases the transaction costs also. Moreover importers are made to travel to Chennai for clearance of every consignment as AQCS demands to see the original of all the documents before granting clearance.*

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि इस मामले को एक्यूएस के साथ उठाया गया और उन्होंने सूचित किया है कि वे कोचिन में हफ्ते में दो दिन के लिए एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। तथापि, एक्यूएस से इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है और न ही किसी अधिकारी ने यहां रिपोर्ट की है।

*It was further informed by chair that matter was taken up with AQCS and they had informed that they would depute an officer to Cochin for two days in a week. However no communication was received from AQCS in this regard nor has any officer reported here.*

उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सीसीएफसी बैठक में एक्यूएस और सिफ्ट के अधिकारियों को आमंत्रित किया था और सिफ्ट के अधिकारियों का परिचय कराया और सूचित किया कि एक्यूएस से कोई भी अधिकारी इस बैठक में नहीं आया है।

*He said he had invited AQCS and CIFT officers for this CCFC meeting and introduced the officers of CIFT and informed that no officers from AQCS has come for the meeting.*

सिफ्ट के श्री अशोक कुमार ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि तूतिकोरिन बंदरगाह में भी उन्हें यही समस्या हुई थी। वहां एक्यू ने हफ्ते में दो दिन के लिए अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया था और इससे समस्या काफी हद तक सुलझ गई थी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि सिफ्ट दस्तावेजों को स्कैन करके चेन्नें भेज देगा जिससे विलंब में कमी हो सकती है।

Shri. Ashok Kumar from CIFT informed the chair that in Tutucorin port also they had faced the same problem. There AQ had appointed an officer for two days every week and that has solved the problem to an extent. He also informed that CIFT can scan and send the documents to Chennai which in turn can reduce the overall delay.

श्री पॉल ने सूचित किया कि दस्तावेजों को स्कैन कर के भेजने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एक्यू निकासी के लिए मूल दस्तावेजों के पूरे सेट की मांग करेगा।

Shri. Paul informed that the scanning and sending of documents will not work as AQ will require the full set of original documents for clearance.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मामले पर सीबीईसी, दिल्ली के साथ मिलकर अगली कार्रवाई की जाएगी ताकि इसे जल्द से जल्द निपटाया जा सके।

*The chair said that the matter would be followed up with CBEC, Delhi to ensure that issue gets resolved early..*

*[कार्रवाई : सहा.आयुक्त, डोक्स Action: AC, Docks]*

बिंदु 4 : सीमाशुल्क द्वारा एफएसएसआई की हार्ड कॉपी पर जोर देने के कारण निकासी में देरी

POINT 4: DELAY IN CLEARANCE AS CUSTOMS INSIST HARD COPY FROM FSSAI FOR CLEARANCE.

एफएसएसआई के अधिकारियों ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि सीमाशुल्क अधिकारी उनसे हार्ड कॉपी के लिए जोर देते हैं और यह भी सूचित किया कि संबंधित सीएफएस को हार्ड कॉपी भेजने से निकासी में और देरी होती है। उन्होंने अनुरोध किया उनके दस्तावेजों को निकासी के लिए ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की जाए।

FSSAI official informed the chair that the Customs officials are insisting on hard copies from them for clearance and informed that sending hard copies to concerned CFS further delays clearance. He requested that their documents may be accepted online for clearance.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि सीमाशुल्क को निकासी के बाद वाली लेखापरीक्षा के लिए हार्ड कॉपी की ज़रूरत होती है और ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें भविष्य में कोई मुकदमेबाजी हो सकती है और अदालत में हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि निकासी के लिए वे दस्तावेजों की ऑनलाइन प्रतियां स्वीकार करेंगे।

*The chair informed that Customs required the hard copies for post clearance audit and there might be cases where there will be some litigation in future and the court may require hard copies. He assured that for clearance of consignments they will accept online copies of documents.*

*[कार्रवाई: सहा. आयुक्त, डोक्स Action: AC, Docks]*

बिंदु 5: सेबों की निकासी में देरी

POINT 5: DELAY IN CLEARANCE OF APPLES

अध्यक्ष महोदय ने मेसर्स पी.जे. जोन्सन फ्रूट कंपनी के सेबों के दो कन्साइन्मेंट और मुद्रा एक्सपोर्ट्स के सेबों के एक आयातित कन्साइन्मेंट के बारे में पूछा जिन्हें एफएसएसआई द्वारा अस्वीकार किया गया था।

*The chair enquired regarding two consignments of apples by M/s P.J. Johnson Fruit Company and one consignment of apples imported by Mudra Exports which were rejected by FSSAI.*

एफएसएसआई अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि उन्हें मेसर्स पी.जे. जोन्सन फ्रूट कंपनी द्वारा आयातित एक कन्साइन्मेंट को अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि उसमें फफूंद उगने के कारण प्रयोगशाला से ही अस्वीकार किया गया था। दूसरे कन्साइन्मेंट में लेबलिंग की कमी थी और उनके द्वारा एफएसएसआई के सवालियों का जवाब नहीं दिए जाने के कारण और एफएसएसआई द्वारा 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने की अपेक्षा के परिणामस्वरूप उन्हें इसे अस्वीकार करना पड़ा। उन्होंने यह भी सूचित किया कि वे अपील कर सकते हैं और वास्तव में उन्होंने अपील की और एफएसएसआई ने निकासी की सिफारिश की तथा लेबल के संबंध में दी गई सफाई को स्वीकार कर लिया गया। मेसर्स मुद्रा एक्सपोर्ट के कन्साइन्मेंट के मामले में उन्होंने सूचित किया कि उन्होंने इसे पूरी तरह से अस्वीकार किया था क्योंकि सेब सड़ गए थे।

FSSAI official informed the chair that they had to reject one of the consignments imported by M/s P. J. Johnson Fruit Company as it was lab rejection due to mould growth. In the case of the second consignment there was label defect, and as they did not give clarification of query posed by FSSAI and as FSSAI have to take action within 24 hours, they had to reject it. He further informed that they can go on appeal and actually they have appealed and FSSAI have recommended clearance and the label clarification given was accepted. As to the consignment of M/s. Mudra Exports he informed that the rejection was absolute from their part as the apples were rotten

बिंदु 6 : एफएसएसएआई द्वारा शीतीकृत/समुद्री उत्पादों की अस्वीकृति

POINT 6: REJECTION OF FROZEN MARINE PRODUCTS BY FSSAI

एफएसएसएआई अधिकारी ने सूचित किया कि *सैलमोनेल्ला* और *शिगेल्ला* नामक एक किस्म के बैक्टीरिया के होने से कुछ समुद्री उत्पादों के माल को अस्वीकार करना पड़ता है, एफएसएसएआई के मानकों के अनुसार बड़ी मात्रा में इन बैक्टीरियाओं के समूह आंत संबंधी बीमारी का कारण हो सकते हैं।

The FSSAI official informed that certain consignments of marine products were rejected because of the presence of *Salmonella* and *Shigella*, a group of bacteria that can cause intestinal diseases, in high quantity as per the standards of FSSAI.

बिंदु 7 : सिंगल विंडो के तहत संदर्भित नहीं किए गए खाद्य कन्साइन्मेंट

POINT 7: FOOD CONSIGNMENTS NOT REFERRED UNDER SINGLE WINDOW-

प्राधिकृत अधिकारी, एफएसएसएआई, कोचिन ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि कुछ खाद्य कन्साइन्मेंटों को सिंगल विंडो के तहत एफएसएसएआई को संदर्भित नहीं किया गया है, जबकि परीक्षण आदेश में एफएसएसएआई निकासी का उल्लेख है तथा इसके लिए एफएसएसएआई निकासी आवश्यक है। अभी मैनुअल आवेदन द्वारा इसे संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे आयात निकासी में देरी, एफएसएसएआई निकासी की उपेक्षा करना और अधिकारियों में भ्रम पैदा होना जैसी परेशानियां पैदा हो गई हैं।

Authorised officer, FSSAI Cochin informed chair that some of the food consignments are not referred to FSSAI in single window, even though FSSAI clearance is mentioned in examination order and the same needs FSSAI clearance. Now this is amended by manual application. He said that this created complications like delay in import clearance, bypassing of FSSAI Clearance and confusions among officers.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी खाद्य कन्साइन्मेंटों को सर्वर संदर्भित नहीं करता है और इस मामले को बोर्ड के समक्ष उठाया जाएगा कि सभी खाद्य कन्साइन्मेंटों को स्वीकार करने के लिए सिस्टम में आरआईटीसी को संशोधित किया जाए।

*The chair said that not all food consignments are referred by the server and that this issue will be taken up with board to amend RITC in system to accept all food consignments.*


[कार्रवाई : सहा.आयुक्त, ईडीआई Action: AC, EDI]

चर्चा के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाए जाने के कारण, अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

*Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks.*

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in) के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई मुद्दे हों, तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in)/[ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com) के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in). Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) / [ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com).

  
(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/1/2015 – CCU Cus.

तारीख Dated: 20.06.2016

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.  
The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner  
All D.Cs & A.Cs  
All members

